

कोटेशन सूचना

Quotation Notice

विषय:- चिकित्सालय के लिए औषधि/सामग्री क्रय किये जाने बाबत।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) के विभिन्न विभागों में औषधि/सामग्री की आवश्यकता है, अतः उक्त सामग्रियों को क्रय किये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रारूप में ही कोटेशन प्रस्तुत करे :-

SL.NO.	ITEMS NAME CATEGORY WISE	PACKING SIZE	MFG	BASIC RATE	GST	TOTAL RATE (B.R. + GST)
	TABLETS					
1	TAB.CLOPIDOGREL 75 MG	Each Tab				
2	TAB.TRANEXAMIC ACID	Each Tab				
3	TAB.VOGLIBOSE 0.2 MG	Each Tab				
	INJECTION					
1	INJ.ADRENALINE 1 ML	Each Amp/Vial				
2	INJ.ARESUNATE 60 MG	Each Amp/Vial				
3	INJ.ATRA CURIUM BESYLATE	Each Amp/Vial				
4	INJ.PROPOFOL	Each Amp/Vial				
5	INJ.LIGNOCAIN HCL+ADR 30 ML	Each Amp/Vial				
6	INJ.PILOCARPINE 0.5% 1ML	Each Amp/Vial				
7	INJ.HYALURONIDASE 1500 IU	Each Amp/Vial				
8	APPAVISC 5 ML(Hydroxy propyl methyl cellulose)	Each Amp/Vial				
9	INJ.BUSCOPAN	Each Amp/Vial				
	DROPS/LIQUID					
1	PROPARACAINE EYE DROP	5 ml				
2	BROMEHEXINE HCL+Terbutaline SYP	100ml				
3	POVIDONE IODINE SOLUTION-500ML	500 ml				
4	ETHANOL 100 ML	100 ML				
5	FORMALIN SOLUTION 5 ltr	5 LTR				
6	METHYLENE BLUE SOLUTION-100 ML	100 ML				

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्त:-

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।

2. कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करें साथ ही फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
3. किसी भी फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
4. सामाग्रियों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
5. आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामाग्रीयाँ प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6. लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम अंकित होना चाहिए।
7. प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
8. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. सामाग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
10. उक्त सामाग्री गुणवत्ता विहिन पाये जाने पर वापस किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
11. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
12. सामग्री का प्रदाय MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक मूल्य पर प्रदाय नहीं किया जायेगा।

Jayal 15.12.23

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/क्रय/CCMGMCH/2023/
प्रतिलिपि:-

दुर्ग, दिनांक/

अधिष्ठाता, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
की ओर सादर सूचनार्थ।

Jayal 15.12.23

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)